सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 407 राँची, मंगलवार

19 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

9 जून, 2015 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

09 जून, 2015

संख्या- 3/स्था0 डी0-01-63/2012-721 (3)-- भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन झारखण्ड राज्य के गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सकों के भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

अध्याय 1

सामान्य प्रावधान

1. **<u>संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-</u>**

(i) यह नियमावली 'झारखण्ड राज्य के गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सकों के (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2015' कही जाएगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत होगी ।

2. **परिभाषाएं :-**

(i) 'राज्य' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य ।

(ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

(iii) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्यपाल ।

(iv) 'आयोग' से अभिप्रेत है, झारखण्ड लोक सेवा आयोग ।

(v) 'नियमावली' से अभिप्रेत है, 'झारखण्ड राज्य के गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सकों के (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2015'

(vi) 'विशेषज्ञ से अभिप्रेत है, वह चिकित्सक जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा यथा एम0डी0, एम0एस0, डी0एन0बी0 अथवा समकक्ष एवं अन्य सुपर स्पेशलिटी डिग्री प्राप्त किये हों। उक्त सभी उपाधियां भारतीय चिकित्सा पषर्द् द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए ।

3. गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा की रचना :-

इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी :-

क्र0	स्तर	पदनाम	वेतन संरचना/ग्रेड वेतन
1	2	3	4
1	प्रथम	विशेषज्ञ ग्रेड-II	PB – II, ग्रेड वेतन रू0 5400 (नियुक्ति के समय चार अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्नातकोत्तर डिग्रीधारकों को तथा तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारकों को देय होगा)
2	द्वितीय	उपाधीक्षक एवं समकक्ष पद	PB – III, ग्रेड वेतन रू0 6600
3	तृतीय	सिविल सर्जन एवं समकक्ष पद	PB – IV, ग्रेड वेतन रू0 7600

4	चतुर्थ	अपर निदेशक एवं समकक्ष पद	PB – IV, ग्रेड वेतन रू0 8700
5	पंचम	निदेशक	PB – IV, ग्रेड वेतन रू0 8900
6	षष्ठम	निदेशक प्रमुख	PB – IV, ग्रेड वेतन रू0 10000

अध्याय 2

भर्त्ती नियुकित

4. झारखण्ड राज्य के गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ ग्रेड – II की भर्त्ती झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों से की जायेगी। इनका प्रारंभिक पदस्थापन न्यूनतम 2 वर्षों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ट्रामा सेंटर एवं ग्रामीण क्षेत्र के मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र में किया जायेगा ।

   परन्तु वर्त्तमान झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों से विकल्प प्राप्त कर स्नातकोत्तर डिग्रीधारी चिकित्सकों को चार अतिरिक्त वेतन वृद्धि तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी चिकित्सकों को तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि देकर विशेषज्ञ ग्रेड – II में एक बार के लिए समायोजित किया जा सकेगा। परन्तु इसके लिए चिकित्सक को विशेषज्ञता से संबंधित विषय के सभी मुख्य कार्यों को करने का अनुभव हो तथा वह अभी भी इस कार्य में सक्षम हो ।

5. वैसे विशेषज्ञ जिनकी योग्यता एम0सी0एच0 (सुपर स्पेशलिस्ट) अथवा समकक्ष है तथा जो भारतीय चिकित्सा पर्षद द्वारा मान्यता प्राप्त हो, का पदस्थापन सीधे जिला अस्पताल, प्रमंडलीय अस्पताल एवं अन्य सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में किया जाएगा ।

6. **<u>रिक्तियों का नियतीकरण :-</u>** प्रत्येक वर्ष रिकितयों का आकलन 1 जनवरी को आधार मानकर किया जायेगा ।

7. **<u>आरक्षण</u>** :- झारखण्ड राज्य के गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा में भर्त्ती एवं प्रोन्नति से भरे जाने वाले सभी पदों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम एवं रोस्टर लागू होंगे ।

अध्याय 3

सीधी नियुक्ति

8. **<u>सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया :-</u>** झारखण्ड राज्य के गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा में प्रथम प्रवेश मूल पद पर अर्थात विशेषज्ञ ग्रेड – II पर नियुक्ति विहित चयन प्रक्रिया के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार मेधा सूची के अनुसार अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों से की जायेगी। चयन प्रक्रिया में शामिल होने के अवसरों की संख्या कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 2959 दिनांक 03 अप्रैल, 13 के अनुसार होगी। भविष्य में यदि कार्मिक विभाग इसमें बदलाव करता है तो वही प्रावधान लागू होंगे ।

9. **<u>सीधी नियुक्ति के लिए योग्यताएँ/अर्हताएँ</u>** :-

(i) **<u>शैक्षणिक योग्यता :-</u>** सीधी नियुक्ति की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए आवेदक को भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविधालयों से स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा यथा एम0डी0, एम0एस0, डी0एन0बी0 अथवा समकक्ष उच्चतर डिग्री यथा एम0सी0एच0, डी0एम0 की डिग्री प्राप्त करना तथा चिकित्सक के रूप में निबंधित होना आवश्यक होगा ।

(ii) **<u>उम्र :-</u>** विशेषज्ञ ग्रेड – II के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु समय-समय पर निर्धारित आयु सीमा प्रभावी होगी। आयु निर्धारण हेतु कट-आफ-डेट अधियाचना वर्ष की 01 ली अगस्त होगी ।

(iii) **<u>चयन प्रक्रिया :-</u>** विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार किया जायेगा। रिक्ति/रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आरक्षण कोटिवार रिक्ति/रिक्तियों के पांच गुणा उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार के लिए कुल 100 अंक होंगे। इन 100 अंको का निर्धारण निम्नवत होगा :-

(क) स्नातकोत्तर में प्राप्तांक - कुल 60 अंक

(ख) स्नातकोत्तर से उच्चतर डिग्री यथा डी0एम0/एम0सी0एच0 अथवा समकक्ष डिग्री (भारतीय चिकित्सा परिषद से अनुमान्यता प्राप्त हो) यह अंक समान रूप से स्नाकोत्तर से उच्चतर डिग्री धारक को दिया जायेगा - कुल 10 अंक

(ग) मौखिक साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा - कुल 30 अंक

टिप्पणी - स्नातकोत्तर के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंको का अवधारण उक्त कोर्स की सभी परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंको के योग के प्रतिशत को यथा सिथति 0.5 अथवा 0.4 के गुणक से गुणा करके होगा। जैसे किसी अभ्यर्थी के स्नातकोत्तर डिग्री की सभी परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंको के योग का प्रतिशत 50% होता है तो 50 X 0.5 = 25 अंक दिये जायेंगे जबकि किसी अभ्यर्थी के स्नातकोत्तर डिप्लोमा की सभी परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंको के योग का प्रतिशत 50 % होता है तो 50 X 0.4 = 20 अंक दिये जायेंगे ।

(iV) न्यूनतम अर्हतांक :-

सामान्य वर्ग	- 40 %
पिछड़ा वर्ग	- 36.5 %
पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर I)	- 34 %
अनुसूचित जाति/जन जाति एवं महिला वर्ग	- 32 %

अन्तर्वीक्षा में भी उपरोक्त न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

10. **<u>रिक्तियों का संसूचन :-</u>** प्रत्येक वर्ष रिक्तियों का आकलन कर झारखण्ड लोक सेवा आयोग को इसका संसूचन अधिकतम 28/29 फरवरी तक किया जाएगा, ताकि आयोग ससमय परीक्षा आयोजित कर सके ।

11. **<u>आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा :-</u>** स्वास्थ्य विभाग की अधियाचना के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग वांछित अर्हता के अनुरूप अभ्यर्थियों का चयन उपर अंकित प्रक्रिया के आधार पर करते हुए नियुकित हेतु अनुशंसा करेगा, जिसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति के समय स्वास्थ्य जाँच प्रमाण पत्र देना होगा, जो असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अथवा उसके अधीन गठित चिकित्सा पर्षद द्वारा निर्गत किया गया हो।

अध्याय 4

प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति

12. **<u>प्रोन्नति की प्रक्रिया :-</u>**

(i) इस संवर्ग में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम स्तर के पदों पर सभी प्रोन्नतियाँ विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर की जायेगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली, 2010 में द्वितीय, तृतीय,

चतुर्थ, पंचम स्तर के लिए चिनिहत पदों के एक चौथाई पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा के चिकित्सा पदाधिकारियों से प्रोन्नति देकर भरी जायेगी। यदि विशेषज्ञ संवर्ग से प्रोन्नति हेतु उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो सामान्य स्वास्थ्य सेवा के सदस्यों में से योग्य उम्मीदवार को प्रोन्नति देकर रिक्तियों को भरा जा सकेगा। निदेशक स्तर पर विशेषज्ञ संवर्ग एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग से प्रोन्नत चिकित्सा पदाधिकारियों में से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर निदेशक प्रमुख के पद पर प्रोन्नति दी जायेगी ।

नोट - एक चौथाई पदों की गणना के क्रम में 0.5 अथवा अधिक आने पर इसे 1 माना जाय तथा 0.5 से कम आने पर इसे नहीं गिना जाय ।

(ii) राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुरूप आवश्यक पदों पर प्रोन्नति हेतु गठित विभागीय प्रोन्नति समिति के द्वारा प्रोन्नति की अनुशंसा की जाएगी ।

(iii) विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त संयुक्त मेधा सूची के आधार पर तैयार वरीयता सूची के आधार पर प्रोन्नति दी जायेगी ।

13. **रिक्तियों का नियतीकरण :-** प्रत्येक वर्ष प्रोन्नति के लिए उपलब्ध होने वाले पदों की रिक्तियों का आकलन 1 जनवरी को आधार मानकर किया जाएगा ।

14. **प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि :-** विभिन्न कोटि में प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के परिपत्रों के अनुरूप होगा ।

अध्याय 5

विविध

15. **परिवीक्षा :-** विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा के सदस्यों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी।

16. **प्रशिक्षण :-** प्रथम नियुक्ति के उपरान्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को एक माह का संस्थागत प्रशिक्षण (Institutional Training) दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त समय-समय पर आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

17. **विभागीय परीक्षा :-** राजस्व पर्षद द्वारा विभागीय परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें विभागीय हिन्दी परीक्षा, लेखा परीक्षा (पुस्तक सहित एवं पुस्तक रहित), तथा कोषागार प्रशिक्षण में उर्त्तीण होना आवश्यक होगा ।

18. **सेवा सम्पुष्टि :-** दो वर्षों की संतोषजनक परीक्ष्यमान अवधि के साथ विभागीय लेखा परीक्षा में उर्त्तीणता, कोषागार प्रशिक्षण, हिन्दी परीक्षा में उत्तीण होने एवं आरोप की सिथति के आधार पर सेवा सम्पुष्ट की जाएगी ।

19. **प्रशासनिक नियंत्रण :-** सेवा के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण विभागीय प्रधान सचिव/सचिव का होगा, जो निदेशक प्रमुख के माध्यम से इन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेंगे। जो Speciality

अस्पतालों 500 शयया वाले अस्पताल में पदस्थापित रहेंगे उनका परिचालनात्मक नियंत्रण संबंधित अस्पताल के प्रधान यथा निदेशक अथवा अधीक्षक करेंगे ।

20. **अनुशासनिक कार्रवाई :-** अनुशासनिक कार्रवाई, सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 एवं राज्य में प्रवृत्त अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी ।

21. **स्वच्छता प्रतिवेदन :-** आंतरिक निगरानी, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग एवं लोकायुक्त कार्यालय से स्वच्छता प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा। स्वच्छता प्रतिवेदन तथा स्वच्छ गोपनीय चारित्रियों के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगा ।

22. **अन्यान्य -** इस नियमावली की सेवा शर्त्तों में आवश्यकतानुसार संशोधन राज्य सरकार समय-समय पर कर सकेगी ।

23. **निरसन एवं व्यावृति :-** इस संबंध में पूर्व के सभी परिपत्र/नियम निरसित माने जायेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० विद्यासागर,

प्रधान सचिव,

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 407—50 ।